न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–144 / 2018 दायर दिनांकः 02.11.2018

GCMS NO:- 2018/00237

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा मीणा, आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)

1. रामफूल आ0 नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. जमनालाल आ0 नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. सनातन आ0 राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. सियाराम आ0 राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आ0 प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. हरिराम आ0 प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. विनोद आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. धनेश आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. कालू आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. मलंगराम आ0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. प्रकाश आ0 गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. सुरेश आ0 भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
9. हनुमान आ0 भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
10. टंकिया आ0 हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
11. बीरबल आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
12. परसराम आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
13. भैंरू आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
14. भंवरपाल आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
15. राजेश आ0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
16. समोदरा पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
17. घोटां पत्नी हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
18. सोना पत्नी विनोद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 188 व 92(क) आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानियां।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 24.01.2025

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम गंभीरा (नया) पटवार मण्डल गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के नवीन खाता संख्या 286 पुराना खाता संख्या 281 की कृषि भूमि खसरा संख्या 880 रकबा 1 बीघा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। आपसी पारिवारिक सहमति से उक्त भूमि वादी संख्या 2 जमनालाल के हिस्से में आयी हुई है। वादी संख्या 2 जमनालाल ने इस भूमि में इस वर्ष गई स्यालू में उडद की फसल बोई व काटी थी। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रतिवादीगण वादीगण से आपसी द्वेष व रंजिश रखत है जिन्होने एक खतरनाक गिरोह बना रखा है जो ताकत के वल पर जवरन वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर से बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है और वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में नाजायज रूप से हस्तक्षेप करना चाहते है। यह कि दिनांक 10.10.2018 को शाम के 5, 5.30 बजे करीब प्रतिवादीगण सारे के सारे एक राय होकर लकडियां व गंडासियां लेकर महिला प्रतिवादीगण हाथों में दातलियां लेकर एक राय होकर जे0सी0बी0 मशीन लेकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

ोल लगाने लग गये। मौके पर वादी जमनालाल की पत्नी मथरा बाई मौजूद थी जिसने प्रतिवादीगण को डोल लगाने व जमीन पर कब्जा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने उसमें मां बहनों की बुरी–बुरी गालियां निकाली और धमकी दी कि तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा करके रहेंगे, जो भी सामने आयेगा उसे जमीन पर गाड देंगे। प्रतिवादीगण जान से खत्म करने को आमदा हो गये। मथरा बाई द्वारा बचाने के लिए चिल्लाने पर आस पडौस के लोग मौके पर आ गये जिन्होने बीच–बचाव किया और प्रतिवादीगण को हाथा–जोडी करके वापस भेजा। इसके बाद वादीगण ने भी प्रतिवादीगण से कहा कि हमारी जमीन पर जबरन डोल क्यो लगाना चाहते हो और जबरन कब्जा क्यो करना चाहते हो जब भी प्रतिवादीगण ने धमकी दी की हम मौका मिलते ही तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे, डोल लगायेंगे। हमारे जो भी सामने आयेगा उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारी जमीन को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। यह वाद का कारण है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर डोल नहीं लगाये, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही ऐसी किसी अन्य से करावें।

प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 7 लगायत 14, 16 लगायत 18 की ओर से वकील श्री जय सिंह आशावत, राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने दिनांक 19.08.2019 को वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 04.10.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया गया। जिसके उपरान्त एकपक्षीय साक्ष्यवादी में वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी खाता संख्या 286 ग्राम गम्भीरा प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गम्भीरा प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2075 प्रदर्श–3 आदि पेश किये तथा वादी जमनालाल के बयान दर्ज रिकार्ड करवाये।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि का अवलोकन किया। एकपक्षीय बहस वाद पत्र सुनी गई। बहस में वकील वादी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। खसरा संख्या 880 पर वादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज है, जिस पर प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से कोई विधिक हक एवं अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गंभीरा (नया) पटवार मण्डल गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के नवीन खाता संख्या 286 पुराना खाता संख्या 281 की कृषि भूमि खसरा संख्या 880 रकबा 1 बीघा पर डोल नहीं लगाये, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही ऐसी किसी अन्य से करावें। यदि प्रतिवादीगण दौराने वाद वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेवें, जबरन डोल लगा दें तो डोल को हटवाया जावें एवं प्रतिवादीगण को बेदखल कर करवा कर वापस कब्जा दिलवाया जावें। वाद का व्यय वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना वहन करेंगें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ** व इजलास पीठासीन अधिकारीः– सुश्री सीमा मीणा

1. रामफूल आ0 नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. जमनालाल आ0 नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. सनातन आ0 राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. सियाराम आ0 राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आ0 प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. हरिराम आ0 प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. विनोद आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. धनेश आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. कालू आ0 हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. मलंगराम आ0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. प्रकाश आ0 गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. सुरेश आ0 भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
9. हनुमान आ0 भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
10. टंकिया आ0 हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
11. बीरबल आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
12. परसराम आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
13. भैंरू आ0 रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
14. भंवरपाल आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
15. राजेश आ0 प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
16. समोदरा पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
17. घोटां पत्नी हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
18. सोना पत्नी विनोद जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 188 व 92(क) आर.टी एक्ट

वाद संख्याः–144 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है किः–

प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गंभीरा (नया) पटवार मण्डल गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के नवीन खाता संख्या 286 पुराना खाता संख्या 281 की कृषि भूमि खसरा संख्या 880 रकबा 1 बीघा पर डोल नहीं लगाये, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही ऐसी किसी अन्य से करावें। यदि प्रतिवादीगण दौराने वाद वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेंवें, जबरन डोल लगा दें तो डोल को हटवाया जावें एवं प्रतिवादीगण को बेदखल कर करवा कर वापस कब्जा दिलवाया जावें। वाद का व्यय वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना वहन करेंगें।

.......................चीज ....–.................... मुबलिग ....–........................... बाबत ....–..........................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–.................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–.. को अदा करे।

आज बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24.01.2025** को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–		–	–

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)